



सार्वजनिक नोटिस

जनता को सूचना दी जाती है कि धर्माश फाउंडेशन ("कंपनी"), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत कंपनी है। कंपनी लेन-देन का उद्देश्य बताए बिना न तो किसी भी प्रकार का फंड/दान स्वीकार करती है और न ही इस तरह के किसी गुमनाम लेन-देन की सराहना करती है।

यह देखा गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कंपनी को लेनदेन के उद्देश्य को सूचित किए बिना कंपनी के खाते में नीचे बताए अनुसार कुछ नकदी जमा की थी।

| Date | Transaction / Reference No. | Amount |
|------------|---|-----------|
| 31-08-2024 | CAM/14351OAR/CASH DEP-Other/31-08-24/3423 | 100000.00 |
| 31-08-2024 | CAM/14351OAR/CASH DEP-Other/31-08-24/3425 | 100000.00 |
| 02-09-2024 | CAM/14351OAR/CASH DEP-Other/02-09-24/3641 | 100000.00 |
| 02-09-2024 | CAM/14351OAR/CASH DEP-Other/02-09-24/3644 | 100000.00 |

इस नोटिस के माध्यम से आपसे अपना विवरण और कंपनी को किए गए उपरोक्त लेनदेन का उद्देश्य बताने का अनुरोध किया गया है।

जनता से यह भी अनुरोध है कि कृपया अपना विवरण और कंपनी को दिए गए किसी भी दान/लेन-देन का उद्देश्य बताएं।

धर्माश फाउंडेशन के लिए

एसडी/-

(ओमेन्द्र सिंह रत्नू)

निदेशक

डीआईएन 09269854

